

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 20.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या का प्रयास करने के मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार,

अभियुक्ता की निशानदेही पर 01 अदद चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश पाण्डेय की गठित टीम द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-438/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1), 333 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्ता हलीमा खातून पत्नी फखरुद्दीन, निवासी ग्राम गड़सरपार, थाना कोतवाली खलीलाबाद, हाल पता ग्राम मड़हाराजा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 20.10.20 को नाथनगर ब्लॉक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।

अभियुक्ता की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 438/2026 मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण- वादिनी द्वारा दिनांक 19.10.2026 को थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्ता द्वारा वादिनी व वादिनी की पुत्री को सीढ़ी मांगने की बात को लेकर गाली गलौज व चाकू से हमला कर घायल करने के सम्बन्ध में दिया गया। थाना महुली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा अभियुक्ता को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

हलीमा खातून पत्नी फखरुद्दीन निवासी ग्राम गड़सरपार थाना कोतवाली खलीलाबाद, हाल पता ग्राम मड़हाराजा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

अभियुक्ता की निशानदेही पर 01 अदद चाकू बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, हे0का0 शम्स तबरेज अली, का0 सुनील कुमार सिंह, म0का0 पूजा चौहान।